न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 117/2022 बउनवानी घनश्याम सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह हाल निवासी श्याम सदन,198 वार्ड नम्बर,9, जटवाडा खुर्द,स0मा0

GCMS No-2022/178

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
4.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.7.2022 पर की गयी कार्यवाही की प्रतिलिपि।
2. प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 4585/1.08, 4610/1.34, 4613/0.10 पर वर्तमान में कौन काबिज है।
3. प्रार्थीगण जिस जगह काबिज वह किसी खातेदारी मे दर्ज है, कौन कौन से ख0न0 है उक्त खातेदार की जमाबन्दी की नकले एवं सूचना उपलब्ध करावे।
4. प्रार्थीगण जिस जगह काबिज है उसके आस–पास कौनसे ख0न0 है तथा खातेदार कौन है की सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब नोटिस कमांक/भू.अ./2022/1408 ए दिनांक 28.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 1.8.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 1408 दिनांक 28.10.2022 से भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए प्रकरण मे अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] एवं बाद तकमील [illegible]ल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर